दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 21-02-2026

विषय सूची

नीति आयोग द्वारा भारत में अप्रेंटिसशिप पर रिपोर्ट जारी

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत 7 अतिरिक्त उपायों की घोषणा

संवेदनशील न्यायपालिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय का नैतिक प्रोत्साहन

भारत द्वारा 'पैक्स सिलिका', अमेरिका-नेतृत्व वाले प्रौद्योगिकी गठबंधन में सहभागिता

भारत की समुद्री सुरक्षा

संक्षिप्त समाचार

कौशल अधिग्रहण और आजीविका संवर्धन हेतु ज्ञान जागरूकता (SANKALP) योजना

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA)

भारतीय महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS)

स्मूद-कोटेड ओटर्स

बेला ग्राम भारत का प्रथम नेट-ज़ीरो गाँव

रेड सैंडर्स

नीति आयोग द्वारा भारत में अप्रेंटिसशिप पर रिपोर्ट जारी

संदर्भ

- नीति आयोग ने "अप्रेंटिसशिप पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरोद्धार: अंतर्दृष्टि, चुनौतियाँ, सिफारिशें और सर्वोत्तम प्रथाएँ" शीर्षक से एक नीतिगत रिपोर्ट जारी की।

परिचय

- यह रिपोर्ट भारत के अप्रेंटिसशिप परिदृश्य का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।
- यह महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करती है, चुनौतियों की पहचान करती है, और अप्रेंटिसशिप प्रणाली को भारत की कौशल विकास एवं रोजगार रणनीति का आधारस्तंभ बनाने हेतु ठोस सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

अप्रेंटिसशिप

- अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण औपचारिक शिक्षा और रोजगार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है, जिससे युवाओं को संरचित, कार्य-आधारित शिक्षण के माध्यम से रोजगार-संबंधी कौशल प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
- अप्रेंटिसशिप व्यवसायों की उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिभाशाली जनशक्ति तक पहुँच प्रदान करती है।

Fig 1.1. Apprenticeship Career Journey

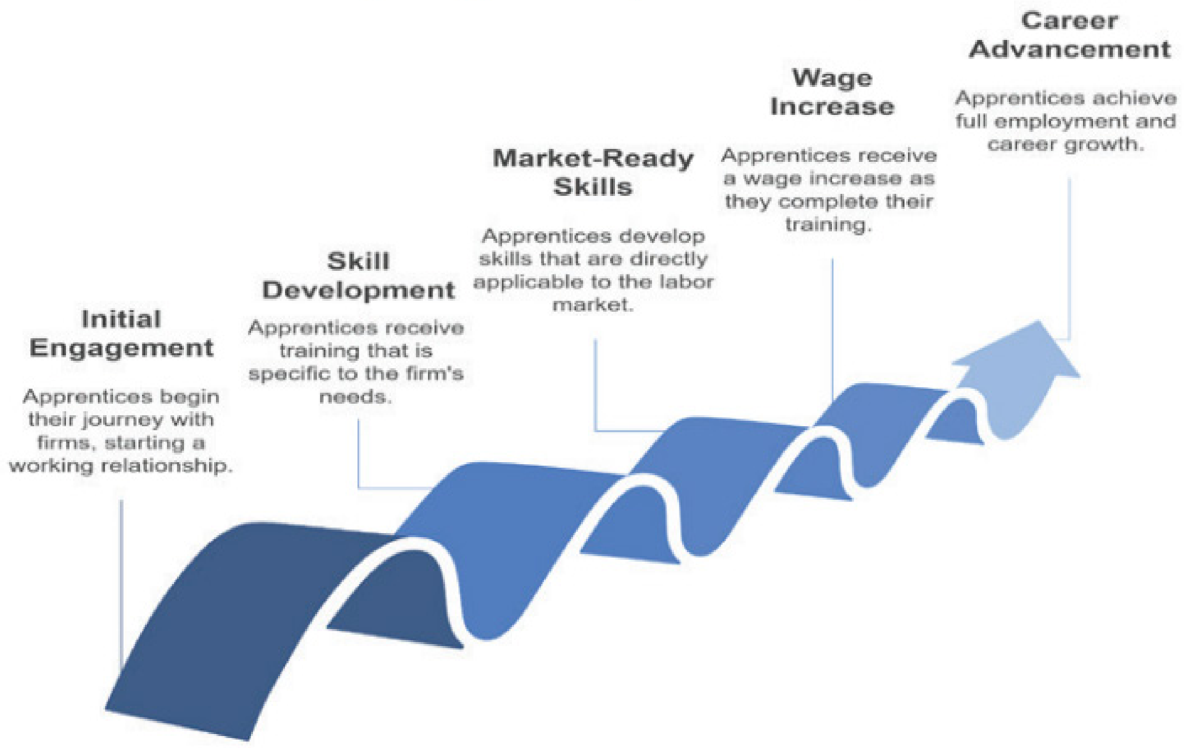

अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता

- 15–29 वर्ष आयु वर्ग के युवा 2021 में जनसंख्या का 27.2% थे और 2036 तक भारत के पास लगभग 345 मिलियन युवाओं की जनसंख्या होगी, जो विश्व में सबसे बड़ी होगी।
- इस युवा जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश में परिवर्तित करने के लिए भारत को सुनिश्चित करना होगा कि उसके युवा आवश्यक कौशल, शिक्षा और रोजगार अवसरों से सुसज्जित हों।
- इस परिवर्तन के केंद्र में कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

Figure 2.1: India's Apprenticeship Journey through 20th to 21st Century (1950-2025)

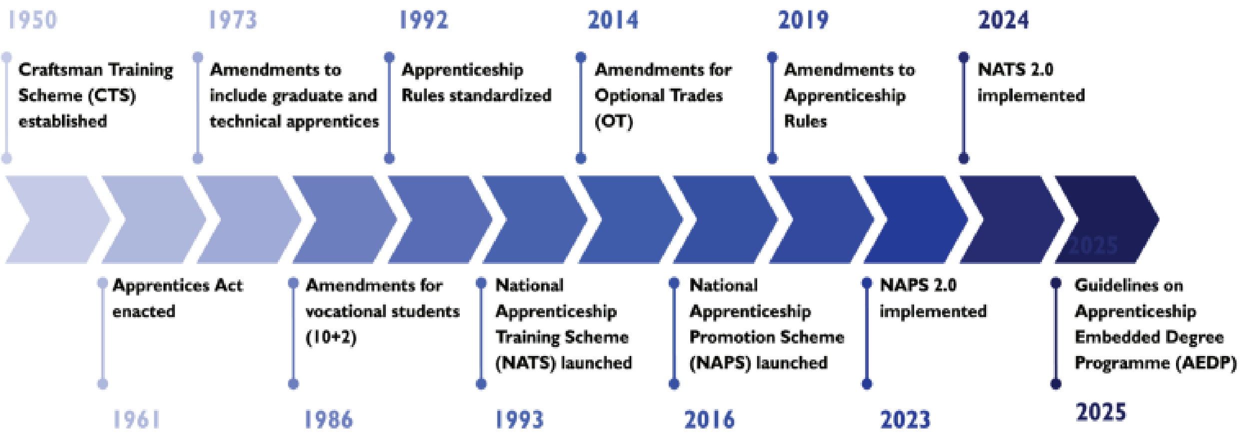

वर्तमान परिदृश्य

- **पंजीकरण और सहभागिता में अंतर:** 2024-25 में 1.31 मिलियन पंजीकरण हुए, परंतु केवल 985,000 लोग जुड़े तथा 251,000 ने प्रशिक्षण पूरा किया।
- **पंजीकरण में गिरावट:** हाल के वर्षों में पंजीकरण में हल्की गिरावट देखी गई है, और पंजीकरण, सहभागिता एवं पूर्णता के बीच ड्रॉप-आउट दर की सतत निगरानी आवश्यक है।
- **संस्थानों का योगदान:** मध्यम और बड़े उद्यम सक्रिय संस्थानों का 30% से कम हिस्सा रखते हैं, लेकिन कुल अप्रेंटिसशिप सहभागिता का 70% से अधिक योगदान करते हैं।
    - MSMEs, स्टार्ट-अप्स और अनौपचारिक क्षेत्रों की भागीदारी कम है।
- **लैंगिक अंतर:** पुरुष प्रतिभागियों का पंजीकरण और सहभागिता में लगातार अधिक हिस्सा रहा है। महिलाओं एवं वंचित समूहों के लिए लक्षित समर्थन अपर्याप्त है।
- **क्षेत्रीय एवं संस्थागत असमानताएँ:** शीर्ष 10 राज्य 79–84% सहभागिता में योगदान करते हैं; उत्तर-पूर्व और केंद्र शासित प्रदेशों का योगदान नगण्य है।
    - राज्यों के अंदर भी जिलों के प्रदर्शन में बड़ा अंतर है।

नीति आयोग की सिफारिशें

- **नीतिगत सुधार:** राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मिशन और एकीकृत राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप पोर्टल की स्थापना का सुझाव। आकांक्षी जिलों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और महिला अप्रेंटिसों के लिए लक्षित प्रोत्साहन।
- **नियामक ढाँचा:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को मापने हेतु अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट इंडेक्स की स्थापना। कार्यक्रमों और अप्रेंटिस दक्षताओं का सुदृढ़ मूल्यांकन।
- **राज्य एवं जिला स्तर हस्तक्षेप:** उच्च क्षमता वाले, परंतु कम प्रदर्शन करने वाले विशेष जिलों के लिए लक्षित समर्थन। शीर्ष 25 जिलों को अप्रेंटिसशिप वृद्धि मीट्रिक्स के आधार पर मान्यता/पुरस्कार।
- **संस्थानों की भागीदारी:** MSMEs की गहन भागीदारी हेतु क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकरण, और गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था के अनुरूप अप्रेंटिसशिप।
- **वंचित वर्ग एवं महिलाओं के लिए समर्थन:** यात्रा एवं आवास सहायता, विस्तारित बीमा कवरेज, संरचित करियर परामर्श, अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता मार्ग, और महिलाओं की समावेशिता हेतु विशेष उपाय।

पहलें

- **राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS) 2016:** कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ। यह 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्रों में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करती है।
  - NAPS ने नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया कि वे अप्रेंटिस को संलग्न करें, जिसमें निर्धारित वृति का 25% (₹1,500/माह तक) साझा किया गया।
  - नामित ट्रेडों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति भी की गई, जिससे अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिला।
- **राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (NATS):** शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित। यह स्नातक एवं डिप्लोमा धारकों पर केंद्रित है और छह माह से एक वर्ष तक संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करती है।

स्रोत: PIB

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

संदर्भ

- "अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस" 21 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2026 का विषय है – *"बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़"*।

परिचय

- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के महासम्मेलन द्वारा घोषित किया गया था। यह पहल बांग्लादेश की थी।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 के अपने प्रस्ताव में इस दिवस की घोषणा का स्वागत किया।

भारत एक बहुभाषी समाज के रूप में

- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,300 से अधिक मातृभाषाएँ और 121 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं।
- यूनेस्को प्रत्येक वर्ष भारत के लिए *स्टेट ऑफ़ द एजुकेशन रिपोर्ट* प्रकाशित करता है, जिसमें एक विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - 2025 का संस्करण मातृभाषा एवं बहुभाषी शिक्षा की स्थिति का आकलन करने हेतु वैश्विक शोध, नए राष्ट्रीय प्रमाण और व्यावहारिक अनुभवों को एकत्र करता है।
- NCERT के अनुसार, 2022 में भारत में लगभग 44% बच्चे ऐसे विद्यालयों में प्रवेश करते हैं जहाँ शिक्षण की भाषा उनकी मातृभाषा से भिन्न होती है।
  - इन बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत एक अपरिचित भाषा को समझने के अतिरिक्त भार के साथ होती है।

मातृभाषा में शिक्षा का महत्व

- **बेहतर समझ और अधिगम:** मातृभाषा में शिक्षा से बच्चे जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से समझ और याद रख सकते हैं।
- **संज्ञानात्मक विकास:** परिचित भाषा में सीखना समस्या-समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मकता जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देता है।
- **सशक्त संप्रेषण कौशल:** मातृभाषा शिक्षा बच्चों को मौखिक और लिखित संचार में दक्ष बनाती है।
- **सांस्कृतिक पहचान और संरक्षण:** यह बच्चों को उनके समुदाय और पहचान से जोड़ती है, गर्व एवं आत्मीयता की भावना को प्रोत्साहित करती है।
- **भावनात्मक कल्याण:** यह बच्चों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होने और सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देती है।
- **सामाजिक समावेशन:** यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चे, चाहे उनका पृष्ठभूमि कोई भी हो, शिक्षा तक प्रभावी रूप से पहुँच सकें।

भारत में मातृभाषा के संवर्धन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 29 (1) – अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण:** यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के किसी

भी वर्ग, जिसमें भाषायी अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है।

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अध्याय V की धारा 29(फ):** इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो, शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए।
- **अनुच्छेद 30 (1) – अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार:** यह अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 350A – प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा:** यह अनुच्छेद निर्देश देता है कि राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा।
  - यह इस बात पर बल देता है कि जहाँ तक संभव हो, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए।
- **अनुच्छेद 350B – भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:** भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और संवर्धन हेतु, जिसमें उनकी भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास शामिल है, विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है।

भारत सरकार की पहलें

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020:** जहाँ संभव हो, कक्षा 5 तक और वरीयता से कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/स्थानीय भाषा रखने का प्रावधान।
  - उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को मातृभाषा में उपलब्ध कराने और द्विभाषी शिक्षण को प्रोत्साहित करने का प्रावधान।
- **भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना (BBPP):** केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित। इसका उद्देश्य विद्यालय एवं उच्च शिक्षा हेतु 22 भारतीय भाषाओं में डिजिटल और मुद्रित पाठ्यपुस्तकें तैयार करना है।
- **GPIL योजना:** हिंदी, वेद, शास्त्रीय तमिल, सिंधी और उर्दू के संवर्धन हेतु अनुदान।
- **भाषा विकास संस्थाएँ:** हिंदी, उर्दू, सिंधी और संस्कृत के विकास एवं संवर्धन हेतु अलग-अलग संगठन।
- **AICTE दिशा-निर्देश:** तकनीकी शिक्षा संस्थानों को स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति। अब तक 10 राज्यों के 19 संस्थानों ने ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं।
- **राष्ट्रीय पहलें:** PM eVIDYA, *आदि वाणी*, *भाषिनी* और *AI4Bharat* की भाषा-प्रौद्योगिकियाँ संकटग्रस्त भाषाओं के दस्तावेज़ीकरण और बहुभाषी संसाधनों के माध्यम से शिक्षकों को सहयोग प्रदान करती हैं।
- **DIKSHA पोर्टल:** कक्षा 1–12 के लिए पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री 33 भारतीय भाषाओं एवं भारतीय सांकेतिक भाषा में उपलब्ध।

निष्कर्ष

- मातृभाषा में शिक्षा पर बल देना कोई नया विचार नहीं है। ऐतिहासिक रूप से कई देशों ने बच्चों के अधिगम अनुभव को बेहतर बनाने हेतु इस दृष्टिकोण को अपनाया है।
  - उदाहरणस्वरूप, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सोवियत संघ ने विभिन्न जातीय समूहों की मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु *नैटिवाइज़ेशन नीति* लागू की।
  - इसी प्रकार, 1950 के दशक में चीन ने अपनी जातीय अल्पसंख्यकों के बीच मातृभाषा शिक्षा को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई।
- बहुभाषिकता को अपनाना केवल शैक्षणिक प्रयास नहीं है, बल्कि यह समावेशिता और विविधता के प्रति प्रतिबद्धता है।
- भारत की शिक्षा प्रणाली ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर सकती है जो न केवल शैक्षणिक रूप से दक्ष हो, बल्कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और वैश्विक स्तर पर सक्षम भी हो।

स्रोत: TH

सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत 7 अतिरिक्त उपायों की घोषणा

संदर्भ

- वाणिज्य मंत्रालय ने *निर्यात संवर्धन मिशन* के अंतर्गत सात अतिरिक्त हस्तक्षेपों की घोषणा की है।
    - इनका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाना है।

निर्यात संवर्धन मिशन (EPM)

- केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा की थी।
    - इसका उद्देश्य निर्यात ऋण तक आसान पहुँच, सीमा-पार फैक्टरिंग सहायता, और विदेशी बाज़ारों में गैर-शुल्कीय उपायों से निपटने हेतु MSMEs को सहयोग प्रदान करना है।
- **संबंधित मंत्रालय:** यह मिशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।
    - EPM के अंतर्गत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो हाल ही में वैश्विक शुल्क वृद्धि से प्रभावित हुए हैं, जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद तथा समुद्री उत्पाद।
- **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)** कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें आवेदन से लेकर वितरण तक की सभी प्रक्रियाएँ सम्मिलित होंगी।
    - यह मिशन एक समर्पित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से संचालित होगा, जो वर्तमान व्यापार प्रणालियों से एकीकृत रहेगा।

EPM के प्रमुख घटक

वित्तीय सहयोग

- **निर्यातकों हेतु ऋण गारंटी योजना (CGSE):** राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा 100% कवरेज प्रदान किया जाएगा।
    - पात्र निर्यातकों (MSMEs सहित) को ₹20,000 करोड़ तक की अतिरिक्त ऋण सुविधा उपलब्ध होगी।
    - यह बिना संपार्श्विक (Collateral-free) ऋण की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे तरलता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
- **योजनाओं का एकीकरण:**
- **ब्याज समानिकरण योजना :** निर्यातकों हेतु ब्याज सब्सिडी।
- **बाज़ार पहुँच पहल (MAI):** व्यापार मेलों और बाज़ार संवर्धन हेतु सहयोग।
    - दोनों योजनाओं को डिजिटल रूप से संचालित EPM ढाँचे में एकीकृत किया गया है।

गैर-वित्तीय सहयोग

- **गैर-शुल्कीय बाधाओं (NTBs) का समाधान:** अनुपालन, प्रमाणन और तकनीकी मानकों हेतु वित्तीय सहयोग।
- **बाज़ार अधिग्रहण एवं ब्रांडिंग:** अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, पैकेजिंग और ब्रांडिंग हेतु सहायता।
- **लॉजिस्टिक्स लागत में कमी:** आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और व्यापार सुगमता हेतु सहयोग।

मिशन से अपेक्षित परिणाम

- MSMEs के लिए सुलभ एवं किफायती व्यापार वित्त तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- अनुपालन और प्रमाणन सहयोग के माध्यम से निर्यात तत्परता को बढ़ाना।
- भारतीय उत्पादों के लिए बाज़ार पहुँच और दृश्यता में सुधार करना।
- गैर-पारंपरिक जिलों और क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देना।
- विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवाओं में रोजगार सृजन करना।

स्रोत: TH

संवेदनशील न्यायपालिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय का नैतिक प्रोत्साहन

संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य न्यायिक कार्यप्रणाली में संवेदनशीलता और करुणा को समाहित करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना है, विशेषकर यौन अपराधों एवं संवेदनशील पीड़ितों से संबंधित मामलों में।

पृष्ठभूमि

- यह मुद्दा 2025 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें एक नाबालिग पर यौन हमले का वर्णन करते समय स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया था।
    - उच्च न्यायालय ने आरोपों को बलात्कार के प्रयास से घटाकर एक हल्के अपराध में परिवर्तित कर दिया।
- नागरिक समाज समूहों द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया।
- न्यायालय ने उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया और विशेष न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन को पुनर्स्थापित किया।

समिति का प्रमुख अधिदेश

- **संवेदनशील न्यायिक भाषा को बढ़ावा देना:**
    - संवेदनशील मामलों में उपयुक्त न्यायालयीन भाषा पर दिशा-निर्देश तैयार करना।
    - पीड़ितों की गरिमा और गोपनीयता पर बल देना।
- **सांस्कृतिक और भाषायी मुद्दों का समाधान:**
    - क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में आपत्तिजनक अभिव्यक्तियों की पहचान करना।
    - स्पष्ट करना कि ऐसे शब्दों का सामान्य प्रयोग भी कानूनी अपराध हो सकता है।
    - पीड़ितों को बिना अपमानित हुए अपना आघात व्यक्त करने में सक्षम बनाना।
- **न्यायिक मार्गदर्शन की सुलभता:**
    - रिपोर्ट को सरल और गैर-तकनीकी भाषा में तैयार करना।
    - व्यापक समझ सुनिश्चित करने हेतु इसे क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित करना।

न्यायिक कार्यप्रणाली में करुणा की भूमिका

- **संवेदनशील वर्गों की रक्षा:**
- महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों और वंचित समुदायों से संबंधित मामलों में विशेष संवेदनशीलता आवश्यक है। करुणा न्यायाधीशों को सक्षम बनाती है कि वे:
    - पीड़ितों को भयभीत या अपमानित होने से बचाएँ।
    - न्याय प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करें।
- **मानवीय न्यायालयीन आचरण:** न्यायिक व्यवहार, भाषा और स्वर न्याय की जनधारणा को आकार देते हैं। करुणामय आचरण में शामिल हैं:
    - विनम्र और सम्मानजनक संचार।
    - व्यथित वादकारियों या गवाहों के प्रति धैर्य।
    - रूढ़िवादिता और असंवेदनशील टिप्पणियों से परहेज़।
- **दंड और राहत:** करुणा उपयुक्त दंड और उपाय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न्यायाधीशों को सक्षम बनाती है कि वे:
    - अपराधी और पीड़ित की परिस्थितियों पर विचार करें।
    - सुधार और पुनर्वास की संभावना को देखें।
    - अपराध और दंड के बीच संतुलन सुनिश्चित करें।

कानून के शासन के लिए करुणा का महत्व

- **जनविश्वास को बढ़ाना:** नागरिक न्यायालयों को मानवीय और निष्पक्ष मानते हैं तो वे न्यायिक निर्णयों का अधिक सम्मान एवं पालन करते हैं।
- **न्याय तक पहुँच में सुधार:** अपमान या असंवेदनशीलता का भय पीड़ितों को न्यायालयों तक पहुँचने से रोकता है। करुणा इस बाधा को कम करती है।
- **न्याय की विफलता को रोकना:** असंवेदनशील दृष्टिकोण तथ्य-जांच को विकृत कर सकते हैं और अन्यायपूर्ण परिणाम दे सकते हैं। करुणा सावधानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक निर्णय सुनिश्चित करती है।
- **लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करना:** करुणामय न्यायपालिका समानता, गरिमा और न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है।

आगे की राह

- सर्वोच्च न्यायालय की यह पहल न्याय प्रणाली को मानवीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- सहानुभूति, गरिमा और सुलभता पर बल देकर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि न्यायालय केवल कानूनी न्याय ही न दें, बल्कि पीड़ितों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को भी बनाए रखें—जो न्यायपूर्ण एवं समावेशी कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक है।

स्रोत: TH

भारत द्वारा 'पैक्स सिलिका', अमेरिका-नेतृत्व वाले प्रौद्योगिकी गठबंधन में सहभागिता

संदर्भ

- हाल ही में भारत ने औपचारिक रूप से अमेरिका-नेतृत्व वाले *पैक्स सिलिका* गठबंधन में प्रवेश किया है। यह अर्धचालक (Semiconductors), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है।

'पैक्स सिलिका' के बारे में

- पैक्स सिलिका (दिसंबर 2025 में प्रारंभ) एक गठबंधन है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इज़राइल, जापान, क़तर, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और अब भारत शामिल हैं।
- **मुख्य उद्देश्य:** अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, एआई नवाचार मानकों का समन्वय करना, महत्त्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण नेटवर्क को सुदृढ़ करना, असंरेखित या विरोधी राज्यों पर निर्भरता कम करना, और एआई-आधारित टिकाऊ आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना।

क्या आप जानते हैं?

- 'पैक्स सिलिका' शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है—'Pax' (शांति) और 'Silica' (अर्धचालकों का प्रमुख यौगिक)।
- यह सुदृढ़, पारदर्शी और सहयोगी आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से तकनीकी शांति एवं समृद्धि की खोज का प्रतीक है।

भारत के लिए पैक्स सिलिका का सामरिक महत्व

- **आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा:** सदस्यता से भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों से लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों तक विविध पहुँच मिलती है, जिससे चीन के प्रसंस्करण एवं निर्यात में प्रभुत्व का संतुलन होता है।
- **निवेश और विनिर्माण में बढ़ोतरी:** भारत को अर्धचालक निर्माण, एआई अवसंरचना और डेटा केंद्रों में अरबों डॉलर के संयुक्त निवेश के अवसर मिलते हैं, जिससे *इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन* को गति मिलती है।
- **भू-राजनीतिक संरेखण:** पैक्स सिलिका भारत-अमेरिका संबंधों को *व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी* के अंतर्गत सुदृढ़ करता है और भारत को तकनीकी मानक निर्धारण में विश्वसनीय लोकतंत्रों के बीच स्थापित करता है।
- **गठबंधन-आधारित औद्योगिक नीति:** यह आपूर्ति व्यवधानों और राजनीतिक दबावों से बचाव करता है, जिससे रक्षा, ऊर्जा संक्रमण एवं अग्रणी प्रौद्योगिकियों में भारत की सामरिक स्वायत्तता बढ़ती है।

भारत के पैक्स सिलिका में शामिल होने को लेकर चिंताएँ

- **सामरिक स्वायत्तता का जोखिम:** अमेरिका की तकनीकी नीति के साथ निकट संरेखण भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की लचीलापन को सीमित कर सकता है।
- **चीन के साथ संबंधों पर दबाव:** इलेक्ट्रॉनिक घटकों और महत्त्वपूर्ण खनिजों में चीन के प्रभुत्व को देखते हुए, अमेरिका-नेतृत्व वाले तकनीकी गठबंधन में गहरी भागीदारी व्यापार या आपूर्ति व्यवधान को उत्पन्न कर सकती है।
- **निर्यात नियंत्रण का दबाव:** भारत पर अमेरिका के अर्धचालक और एआई निर्यात नियंत्रणों के अनुरूप होने की अपेक्षा हो सकती है, जिससे अन्य साझेदारों के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है।
- **महत्त्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता:** भारत अभी भी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और लिथियम के आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जो अर्धचालक महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर सकता है।

NEXT IAS

- **एआई शासन संबंधी प्रश्न:** 'विश्वसनीय एआई' मानकों को घरेलू डेटा और नियामक ढाँचों के साथ सामंजस्य स्थापित करना नीतिगत तनाव उत्पन्न कर सकता है।

स्रोत: TH

भारत की समुद्री सुरक्षा

समाचार में

- हाल ही में रक्षा मंत्री ने वैश्विक समुद्री समुदाय से समुद्र में उत्पन्न हो रही जटिल और विकसित चुनौतियों का समाधान करने हेतु सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने विशाखापट्टनम में *मिलन 2026* अभ्यास का उद्घाटन करते हुए आपसी विश्वास, साझा उत्तरदायित्व और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर बल दिया।

भारत की समुद्री सुरक्षा

- समुद्री सुरक्षा का तात्पर्य राष्ट्र की संप्रभुता को महासागरों और समुद्रों से उत्पन्न खतरों से सुरक्षित रखना है।
- इसमें तटीय क्षेत्रों की रक्षा, उपलब्ध समुद्री संसाधनों जैसे मछली, अपतटीय तेल और गैस कुएँ, बंदरगाह सुविधाएँ आदि की सुरक्षा शामिल है।
- इसका अर्थ यह भी है कि हमारे जहाज़ों की समुद्र में स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित हो और व्यापार को सुगम एवं सुरक्षित बनाया जाए।

महत्त्व

- यह भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) से होकर गुजरती है।
- भारत का तटवर्ती क्षेत्र—मुख्यभूमि, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप सहित—समुद्री डकैती, तस्करी, घुसपैठ, तथा बंदरगाहों एवं रक्षा प्रतिष्ठानों पर खतरे जैसी अनेक सुरक्षा चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- समुद्री क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा, संसाधनों के संरक्षण और सतत व्यापार एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

चुनौतियाँ और मुद्दे

- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** इंडो-पैसिफिक में बढ़ते तनाव, विशेषकर चीन के नौसैनिक विस्तार से सामरिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **समुद्री आतंकवाद और डकैती:** गैर-राज्यीय तत्वों से खतरे, भारतीय महासागर में समुद्री डकैती और बंदरगाहों व अपतटीय परिसंपत्तियों पर संभावित आतंकी हमले गंभीर चिंता का विषय हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान:** समुद्री मार्गों की नाकेबंदी या साइबर हमलों की संवेदनशीलता भारत के व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।
- **अवैध गतिविधियाँ:** तस्करी, साइबर खतरे, मानव तस्करी और अवैध मछली पकड़ना समुद्री शासन को कमजोर करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ:** समुद्र स्तर में वृद्धि, चक्रवात और पर्यावरणीय क्षरण तटीय अवसंरचना एवं आजीविका को खतरे में डालते हैं।

भारत के कदम और पहलें

- **भारत का 'महासागर' दृष्टिकोण (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति):** पूर्व की *सागर* नीति पर आधारित, यह सहयोगात्मक समुद्री सुरक्षा और समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **नौसैनिक आधुनिकीकरण:** विमानवाहक पोत, पनडुब्बियाँ और उन्नत निगरानी प्रणालियों के साथ भारतीय नौसेना का विस्तार।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** *मिलन* जैसे अभ्यास विश्वभर की नौसेनाओं को एक साथ लाते हैं, जिससे पारस्परिक संचालन क्षमता और सामूहिक सुरक्षा सुदृढ़ होती है।
- **मिलन 2026:** विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित, इसमें 74 देशों के नौसेना प्रमुख और प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए, जिससे भारत की विश्वसनीय समुद्री साझेदार की भूमिका उजागर हुई।

- **सामरिक साझेदारी:** भारत ने यूरोपीय संघ जैसे साझेदारों के साथ सुरक्षा और रक्षा समझौते किए हैं, जिससे समुद्री सुरक्षा एवं आतंकवाद-रोधी सहयोग को बढ़ावा मिला है।
- **सागरमाला और स्मार्ट पोर्ट्स:** बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स में सुधार और सतत समुद्री विकास हेतु हरित प्रौद्योगिकियों का एकीकरण।
- **तटीय सुरक्षा उपाय:** भारतीय तटरक्षक बल को सुदृढ़ करना, तटीय रडार श्रृंखलाएँ स्थापित करना और राज्य समुद्री पुलिस के साथ समन्वय।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत की समुद्री सुरक्षा केवल तटरेखा की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडो-पैसिफिक में स्थिरता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।
- समुद्री डकैती और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जैसी चुनौतियों का समाधान नौसैनिक आधुनिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास के माध्यम से किया जा सकता है।
- सुरक्षित समुद्री क्षेत्र भारत के एक प्रमुख वैश्विक अर्थतंत्र और सामरिक शक्ति के रूप में उदय के लिए अत्यंत आवश्यक है, साथ ही आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय उत्तरदायित्वों के संतुलन के लिए भी।

स्रोत :PIB

संक्षिप्त समाचार

कौशल अधिग्रहण और आजीविका संवर्धन हेतु ज्ञान जागरूकता (SANKALP) योजना

संदर्भ

- संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने *कौशल अधिग्रहण और आजीविका संवर्धन हेतु ज्ञान जागरूकता (SANKALP) योजना* के क्रियान्वयन को लेकर सरकार की आलोचना की।
- समिति ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें योजना के अंतर्गत वित्तीय और भौतिक प्रगति में महत्वपूर्ण विलंब एवं कमी को उजागर किया गया था।

SANKALP योजना

- यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है।
- इसे 2018 में प्रारंभ किया गया था। मूल रूप से इसे 2023 तक पूरा किया जाना था, जिसे बाद में 2024 तक बढ़ा दिया गया।
- इसका उद्देश्य अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना था, बेहतर संस्थागत ढाँचे, उद्योग से जुड़ाव और वंचित समुदायों के लक्षित समावेशन के माध्यम से।
- **वित्तपोषण:** इस योजना को ₹3,300 करोड़ के विश्व बैंक ऋण, ₹660 करोड़ राज्य योगदान और ₹495 करोड़ उद्योग योगदान से वित्तपोषित किया जाना था।

स्रोत: TH

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

संदर्भ

- भारत के उपराष्ट्रपति ने *राष्ट्रीय CSR शिखर सम्मेलन 2026* (नई दिल्ली) में कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अब परिधीय गतिविधि से आगे बढ़कर राष्ट्रीय प्रगति का केंद्रीय तत्व बन गया है।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है?

- यह एक प्रबंधन अवधारणा है जिसके अंतर्गत कंपनियाँ अपने व्यापार संचालन और हितधारकों के साथ संवाद में सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंताओं को सम्मिलित करती हैं।
- **CSR के प्रकार:**
  - **पर्यावरणीय उत्तरदायित्व:** स्थिरता, जलवायु कार्रवाई, अपशिष्ट प्रबंधन और संरक्षण।
  - **नैतिक उत्तरदायित्व:** निष्पक्ष व्यापार प्रथाएँ, पारदर्शिता और सुशासन।

- **परोपकारी उत्तरदायित्व:** दान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक कल्याण।
- **आर्थिक उत्तरदायित्व:** सामाजिक उद्देश्यों का समर्थन करते हुए दीर्घकालिक मूल्य सृजन।

भारत में CSR की लागू व्यवस्था

- भारत में CSR एक वैधानिक दायित्व है और *कंपनी अधिनियम, 2013* की धारा 135 द्वारा शासित है।
  - यह कंपनियों को प्रोत्साहित करता है कि वे विगत तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करें।
- CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जो विगत वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती हैं:
  - ₹500 करोड़ से अधिक निवल संपत्ति।
  - ₹1000 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार।
  - ₹5 करोड़ से अधिक शुद्ध लाभ।

स्रोत: AIR

अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA)

समाचार में

- अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति ट्रम्प के पास *अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA), 1977* के अंतर्गत व्यापक आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं था। न्यायालय ने कराधान पर राष्ट्रपति की शक्ति की सीमाओं और "महत्वपूर्ण प्रश्न" सिद्धांत का उदाहरण दिया।

परिचय

- 1977 में अधिनियमित IEEPA राष्ट्रपति को "असामान्य और असाधारण" विदेशी खतरों से निपटने हेतु राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या अर्थव्यवस्था की रक्षा करने का अधिकार देता है।
- ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग प्रतिबंध लगाने, परिसंपत्तियों को फ्रीज़ करने और लेन-देन रोकने के लिए किया गया है।
- परंतु न्यायालय ने माना कि यह एकतरफा शुल्क लगाने तक विस्तारित नहीं होता, क्योंकि यह कांग्रेस की संवैधानिक कराधान शक्ति का अतिक्रमण है।
- इसके प्रत्युत्तर में राष्ट्रपति ने *व्यापार अधिनियम, 1974* की धारा 122 का उपयोग करते हुए सभी देशों से आयातित वस्तुओं पर 10% अस्थायी शुल्क लगाने की घोषणा की, जो तुरंत प्रभावी हुआ।

स्रोत: TH

भारतीय महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS)

समाचार में

- भारत ने थाईलैंड से *भारतीय महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS)* की अध्यक्षता ग्रहण की।

भारतीय महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS) के बारे में

- यह एक स्वैच्छिक नौसैनिक मंच है जिसे भारतीय नौसेना ने 2008 में भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) के तटीय राज्यों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ किया था।
- IONS द्विवार्षिक नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन, कार्यकारी समूहों तथा कार्यशालाओं और अभ्यास जैसी गतिविधियों के माध्यम से नौसेनाओं के बीच आपसी समझ को प्रोत्साहित करता है।
  - इसके प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं: समुद्री सुरक्षा (समुद्री डकैती विरोधी), मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR), और क्षेत्रीय खतरों से सामूहिक रूप से निपटने हेतु क्षमता निर्माण।
- इसमें घूर्णनशील अध्यक्षता होती है (भारत ने इसे कई बार संभाला है) और 25 सदस्य देशों को चार उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: दक्षिण एशियाई (जैसे भारत, बांग्लादेश, मालदीव), पश्चिम एशियाई, दक्षिण-पूर्व एशियाई/ऑस्ट्रेलियाई, एवं पूर्वी अफ्रीकी।
  - इसमें नौ पर्यवेक्षक भाग लेते हैं; कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है।

स्रोत: PIB

NEXT IAS

स्मूद-कोटेड ओटर्स

समाचार में

- उत्तराखंड वन विभाग ने हाल ही में *नंधौर वन्यजीव अभयारण्य* में स्मूद-कोटेड ओटर्स की उपस्थिति की पुष्टि की है। यह एक स्वस्थ स्वच्छ जल के पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है क्योंकि ये जीव प्रमुख जैव-संकेतक (Bio-indicators) के रूप में कार्य करते हैं।

स्मूद-कोटेड ओटर्सके बारे में

- स्मूद-कोटेड ओटर्स(*लुट्रोगेल पर्सीपिसिलाटा*) केवल स्वच्छ नदियों और आर्द्रभूमियों में पनपते हैं, जहाँ पर्याप्त मात्रा में मछलियाँ हों तथा प्रदूषण न्यूनतम हो।
- भारत में इनकी जनसंख्या मुख्यतः संरक्षित क्षेत्रों जैसे कॉर्बेट, काज़ीरंगा और दक्षिणी अभयारण्यों में पाई जाती है।
- इन्हें *IUCN* द्वारा संवेदनशील (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया है और भारत के *वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972* की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है।
- यह प्रजाति आवास हानि, प्रदूषण और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है।

स्रोत: TH

बेला ग्राम भारत का प्रथम नेट-ज़ीरो गाँव

समाचार में

- हाल ही में *बेला ग्राम* भारत का प्रथम नेट-ज़ीरो पंचायत बन गया है।

क्या आप जानते हैं?

- नेट-ज़ीरो का अर्थ है कार्बन उत्सर्जन को इस स्तर तक कम करना कि उसे प्रकृति या अन्य निष्कासन विधियों द्वारा अवशोषित किया जा सके, जिससे वातावरण में अतिरिक्त उत्सर्जन न रहे।
- नेट-ज़ीरो प्राप्त करने के लिए उत्पादन, उपभोग और परिवहन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आवश्यक है।
- ऊर्जा क्षेत्र, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- कोयला, गैस और तेल से पवन एवं सौर जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन उत्सर्जन को काफी सीमा तक कम कर सकता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता कर सकता है।

बेला ग्राम

- यह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के भंडारा ज़िले में स्थित है।
- इसे *मुंबई क्लाइमेट वीक 2026* के दौरान भारत की प्रथम नेट-ज़ीरो पंचायत के रूप में मान्यता दी गई, इसके सतत और कार्बन-न्यूट्रल प्रयासों के लिए।
- पंचायत नेतृत्व ने स्थानीय स्तर पर जलवायु कार्रवाई को आकार देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इसने 90,000 से अधिक पेड़ लगाए, धुएँ वाले चूल्हों से एलपीजी की ओर संक्रमण किया।
- सौर पैनल लगाए, अपशिष्ट पृथक्करण को बढ़ावा दिया और एकल-उपयोग प्लास्टिक को समाप्त किया।
- इसे 2024 में *राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार* प्राप्त हुआ।

भारत में अन्य पंचायत-नेतृत्व वाली जलवायु पहलें

- **पेरिंजनम, केरल – "सोलर ग्रामम" परियोजना:** 850 घरों ने रूफटॉप सोलर प्रो-ज़्यूमर बनकर विद्युत बिलों में 80% की कमी की और उत्सर्जन घटाया।
- **सियारी, झारखंड – जल संरक्षण:** झीलों का पुनर्जीवन, सौर सिंचाई, स्ट्रीट लाइटें और ज़िला खनिज निधि के सहयोग से हजारों फल एवं छायादार वृक्ष लगाए।
- **बड़ाकिछाब, ओडिशा – आदिवासी महिलाएँ:** सामुदायिक भूमि का मानचित्रण किया और 10 हेक्टेयर अनुपयोगी भूमि पर 16,000 से अधिक पेड़ लगाए, जिससे वन बहाल हुए।
- **गढ़ी, बिहार – जल प्रबंधन:** 45 मृदा के चेक डैम, 90 बोल्डर डैम और तालाब बनाए ताकि जल संकट, अचानक बाढ़ एवं मृदा अपरदन से निपटा जा सके।
- **कोलार, कर्नाटक – जल संरक्षण:** झीलों और भूजल का पुनर्जीवन किया, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग घटाया तथा जलवायु-संवेदनशील कृषि पद्धतियाँ लागू कीं।

स्रोत: TH

NEXT IAS

रेड सैंडर्स

संदर्भ

- दक्षिणी आंध्र प्रदेश में व्यस्त *तिरुपति तीर्थ मार्ग* ने रेड सैंडर्स की तस्करी को आसान बना दिया है।

रेड सैंडर्स (टेरोकार्पस सैंटालिनस)

- **स्थानिक प्रजाति:** केवल दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तीन ज़िलों—चित्तूर, नेल्लोर और वाईएसआर कडप्पा—में पाई जाती है।
- **सबसे बड़ा भंडार:** *शेषाचलम बायोस्फीयर रिज़र्व* (पूर्वी घाट का हिस्सा) में स्थित है, जो लगभग 4,755 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है।
- **विकास:** यह धीमी गति से बढ़ने वाली प्रजाति है, जिसे परिपक्व होने में 25–40 वर्ष लगते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - *IUCN रेड लिस्ट* में संकटग्रस्त (Endangered) के रूप में सूचीबद्ध।
  - *CITES* के अंतर्गत शामिल, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सख्ती से नियंत्रित करता है।
  - *वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972* के अंतर्गत संरक्षित।

क्या आप जानते हैं?

- रेड सैंडर्स ने 1960 के दशक में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जब जापानी वाद्ययंत्र निर्माताओं ने इसकी असाधारण ध्वनि गुणवत्ता को *शामिसेन* बनाने के लिए खोजा।

स्रोत: DTE

NEXT IAS